न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/65/2014

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र श्रवण गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
2. रामकरण पुत्र श्रवण गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा मृतक के बजाय :–
   2/1 मुलचंद पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
   2/2 लक्ष्मण पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
   2/3 प्रभु पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
   2/4 पांची पत्नी रामकरण गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. रामलाल पुत्र मोती गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
4. दुदा पुत्र नारायण गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
5. भागचंद पुत्र गंगाराम गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
6. बालु पुत्र श्रीचन्द गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा मृतक के बजाय :–
   6/1 कन्हैया लाल पुत्र बालु गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
   6/2 शिवराज पुत्र बालु गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
7. हरिकिशन पुत्र श्रीचन्द गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
8. हाथीराम पुत्र श्री चन्द गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
9. कैलाश पुत्र देबी गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

10. गज्जू पुत्र देबी गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
11. दुर्गा लाल पुत्र देबी गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
12. रूपी बेवा देबी गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
13. निम्बा पुत्र शंभू गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
14. दुर्गा पुत्र शंभू गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
15. बलदेव पुत्र खमाण गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
16. रामलाल पुत्र खमाण गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
17. काना पुत्र भागू गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
18. सुखराम पुत्र भागू गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
19. मदन पुत्र ऐगा गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
20. रामा पुत्र ऐगा गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
21. भोमा पुत्र दुदा गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
22. रतु पुत्र दुदा गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
23. हेमराज पुत्र दुदा गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
24. पांचू पुत्र भिया गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
25. रामप्रसाद पुत्र भिया गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
26. गोपाल पुत्र भिया गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा

(कैलाश चन्द लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

27.धनरूप पुत्र उंकार गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा

28.गुदड पुत्र घीसा गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा

29.श्रीराम पुत्र छोगा गुर्जर निवासी उर्जा का खेडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा
2. अधिशाषी अधिकारी सिंचाई विभाग, भीलवाडा
3. सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग भीलवाडा
4. जिलाधीश भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण
संख्या 133/99 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.6.2006

अधिवक्तागण :–

1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 12.3.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आगूंचा तहसील हुरडा में जमाबंदी संवत 1986 में वादीगण के मौरूस मोडा व हुकमा पुान गोमाजी गुर्जर के खाते में आराजी नम्बर 3189 रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा स्थित थी।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

खातेदार श्री मोडा व हुकमा की मृत्यु हो गई जिसका सजरा निम्न प्रकार है :–

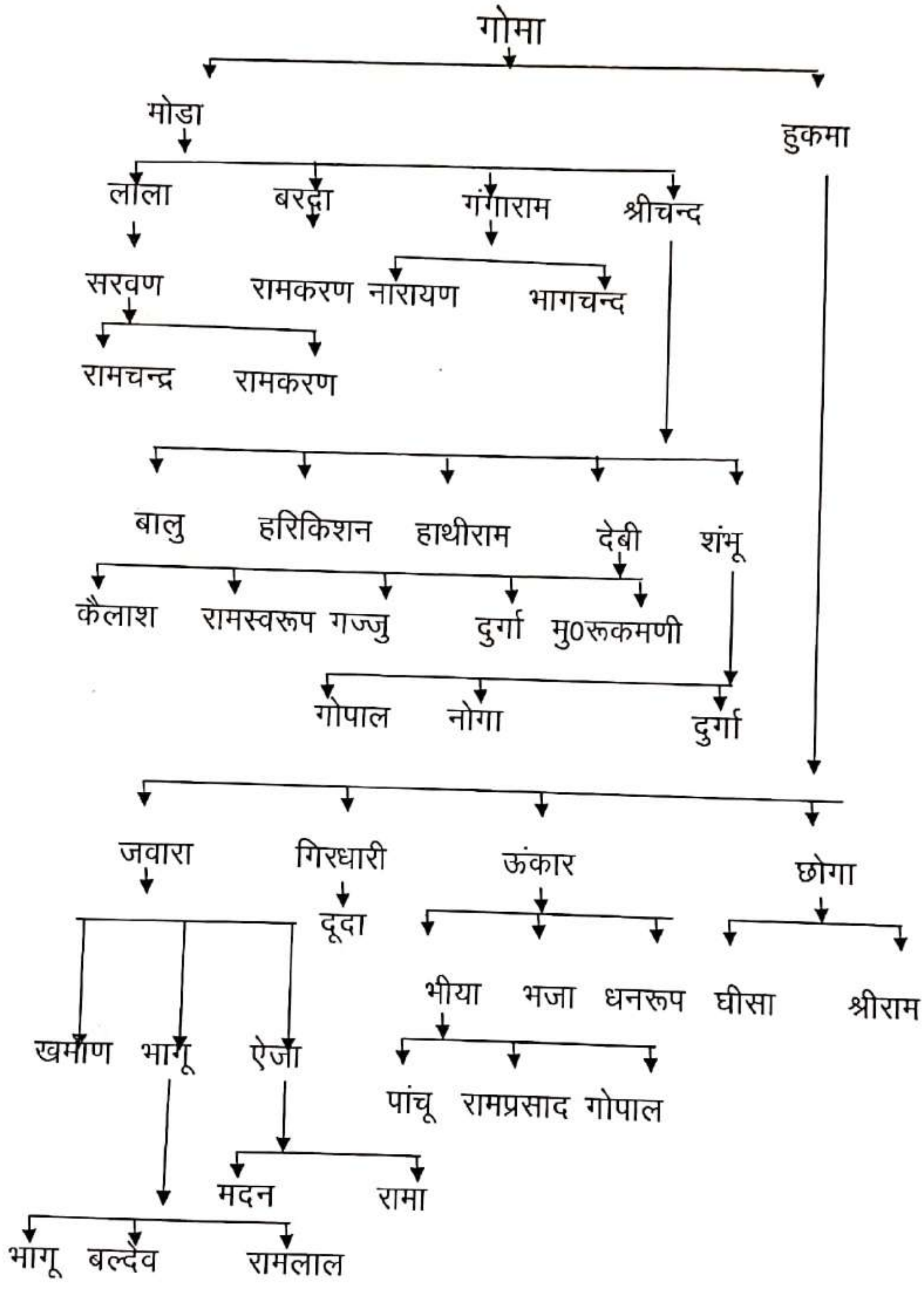

आराजी नम्बर 3189 रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा को बिना किसी आधार के खातेदारान के खाते से खातेदारान को पौसीदा तौर उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना इन्तकाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरण * भीलवाड़ा (राज.)

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

नम्बर 71 संवत 1986 द्वारा बिलानाम आवपासी (सिंचाई विभाग) के नाम पर दर्ज कर दी गई जो अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। खातेदारान मोडा व हुकमा की मृत्यु हो चुकी है और उनके जीते जी उक्त आराजियात पर उनका कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा था और उनकी मृत्यु के बाद उनके क्रमशः वारिसान का व उसके बाद मौजूदा वारिसान वादीगण का श्री मोडा व हुकमा की मृत्यु के बाद लगातार कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। और बहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस समय भी उक्त आराजियात में मक्का, तिल ,उडद , मूंग व चंवले की फसल काश्त सुदा खडी है।

2. मोडा व हुकमा व उनके क्रमशः वारिसान व मौजूदा वादीगण वारिसान ग्रामीण इलाके में रहने वाले होने से व अनपढ होने व लगातार उनका कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग उनके मौरूसान के समय से होने से उन्होंने अब तक अपने खाते कराने के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया । री सेटलमेण्ट में उक्त आराजियात के नये नम्बर 5679 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा कायम किये गये जो गैर मुमकिन तालाब के नाम से दर्ज है। दिनांक 20.6.99 को इस तथ्य की जानकारी हुई है कि प्रतिवादीगण के नाम वादग्रस्त भूमि होने से वे वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त आराजी नम्बर 5679 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा को गैर मुमकिन तालाब (सिंचाई विभाग) के नाम से हटाई जाकर तनाह वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जावे साथ ही बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

दौराने विचारण वाद वादीगण को बेदखल नहीं करे। यदि दौराने वाद वादीगण को बेदखल कर दिया जावे तो पुनः कब्जा दिया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादीगण के पूर्वज श्री मोडा जी व हुकमा जी के खातेदारी की आ0नं0 3189 रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा थी जिसे बिना किसी विधिक अधिकार के खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिए बिना इन्तजकाल नं0 71 सम्वत् 1986 के द्वारा बिलानाम सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज कर दी गई। जबकि वाद वर्णित भूमि पर कब्जा वादीगण एवं उनके पूर्वजों का ही चला आ रहा है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेन्ट नए नम्बर 5679 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा कायम हुए । सन् 1999 में सिंचाई विभाग द्वारा अपीलान्ट्स वादीगण को बेदखल किया जाने लगा तब जानकारी होते ही घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के खारीज कर दिया जो अपास्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की मौरूसी होकर खातेदारी की भूमि है जिसे बिना खातेदारों को सुने जरिये इन्तकाल नम्बर 71 सम्वत 1986 से सिंचाई विभाग के नाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पर दर्ज कर दी गई जो विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

7. बहस में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि ग्राम आगूचा की आ0नं0 3189 रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा भूमि को विधिवत तरीके से अपीलार्थीगण से सिंचाई विभाग के द्वारा मुआवजे के रूप में भुगतान कर मौके पर तालाव के रूप में सिंचाई विभाग के द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है। उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण का वाद सही खारिज किया है। अतः अपील खारीज फरमाई जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के द्वारा ग्राम आगूचा की आ0नं0 3189 जिसके बाद सेटलमेन्ट बने नम्बर 5679 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा भूमि को सिंचाई विभाग के नाम से हटाई जाकर वादीगण के नाम खातेदारी से दर्ज किए जाने हेतु वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 1986 में स्पष्ट अंकित है कि ग्राम आगूचा की आ0नं0 3189 रकबा 39 ब्रीघा 4 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ श्री जुवारा, गिरधारी, उंकार, छोगा पिता हुकमा व मोडा वल्द गोमा गूजर सा0 उरजा का खेड़ा के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त आराजी जरिये मि0नं0 1/77 दिनांक 27.01.30 से इन्द्राज होने का जमाबन्दी की केफियत मे नोट अंकित है। इसी तरह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रजिस्टर तबदीलान मौजा आगूचा परगना व जिला हुरड़ा सम्वत् 1986 के कॉलम संख्या 17 में नोट अंकित है कि मि0नं0 10/8 से उक्त भूमि का परिवर्तन सिंचाई विभाग के नाम होने का अंकन है। नकल

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 56 में आ0नं0 5679 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा भूमि बिलानाम कृषि अयोग्य भूमि तालाब दर्ज है जिस पर सिंचाई विभाग का अधिकार है। अपीलार्थीगण के द्वारा अपने कब्जे काश्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिन्स गिरदावरी या लगान की रसीदें आदि प्रस्तुत नहीं की है न ही मि0नं0 10/8 सं0 69 की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्राम आगूचा की आ0नं0 3189 जिसके बाद सेटलमेन्ट बने आ0नं0 5679 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा भूमि को नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 24.11.33 से मिसल नं0 10/8 के आदेश से बिलानाम तालाब दर्ज की गई है जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 56 में बिलानाम काबिल काश्त भूमि तालाब के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलार्थीगण अपील को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 133/99 आदेश दिनांक 19.06.2006 से पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

9. अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 133/99 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2006 को यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.12 16:29:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: